पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 2009 ई0 (फाल्गुन 23, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–11

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	71–74	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	95–96	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	1–3	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

24 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 318 / तीस–1–2009–12(4) / 2005–भारतीय प्रशासनिक सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित तिथि के अपरान्ह में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे :–

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री गिरिजा शंकर जोशी	24–06–1949	30–06–2009

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–03

अधिसूचना

27 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 171 / XVII(1)–03 / 2009–35(स०क०) / 2002–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 09, सन् 2002) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री इरफान अल्वी, ग्राम–रामपुर, रुड़की, हरिद्वार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि हेतु उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

27 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 172 / XVII(1)–03 / 2009–258(स०क०) / 2003–उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 07, सन् 2003) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नांकित महानुभावों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्री शंकर लाल वर्मा, पो० बनवसा, जनपद चम्पावत।
2. श्री चन्द्रसैन गंगवार, पुत्र उमराव लाल, ऊधमसिंह नगर।
3. चौ० अजित सिंह, पो० निरंजनपुर, देहरादून।
4. श्री शोभाराम प्रजापति, रामनगर, रुड़की, जनपद हरिद्वार।
5. श्री मनोज नायक, स्थान व पो० लण्ढौरा, जनपद हरिद्वार।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–01

अधिसूचना

27 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 230/XVII(1)–01/2009–01(07)/2008–उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 08, सन् 2003) (समय–समय पर यथा संशोधित), की धारा 4 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्नांकित महानुभावों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्रीमती लीलावती राणा, खटीमा, ऊधमसिंह नगर।
2. कु० स्वराज विद्वान, ग्वेला, बड़ाखाल, उत्तरकाशी।
3. श्री जोगेश्वर सिंह, ग्राम व पो० घूमाकोट, पौड़ी गढ़वाल।
4. श्री विजय कुटियाल, धारचूला, नेपाल रोड, जनपद पिथौरागढ़।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

पेयजल अनुभाग–1

अधिसूचना

27 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 215/उन्तीस(1)/09–02(57 अधि)/2007–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन, श्री धीरेन्द्र कुमार गुप्ता की नियुक्ति सम्बन्धी जारी अधिसूचना संख्या 1131/उन्तीस(1)/06–02(92 अधि०)/2002, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, श्री धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने की तिथि से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एम०एच० खान,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English version of notification **no. 215/XXIX(1)/09-02(57 Adhi)/2007**, dated February 27, 2009 for general information :

NOTIFICATION

February 27, 2009

No. 215/XXIX(1)/09-02(57 Adhi)/2007–In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Uttarakhand (The Uttar Pradash Water Supply and Sewerage Act, 1975) Adaptation and Modification Order, 2007, and in continuation of Notification No. 1131(XXIX(1)/06-02(92 Adhi.)/2007, Dated 12 Oct., 2006 regarding the appointment of Shri Dhirendra Kumar Gupta, the Governor is pleased to accord sanction to retire Shri Dhirendra Kumar Gupta, Managing Director, Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam from the post of Managing Director, Uttarakhand Peyjal Sansdhan Vikas Evam Nirman Nigam with effect from the date of attaining the age of superannuation.

By Order,

M. H. KHAN,
Secretary.

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

27 फरवरी, 2009 ई०

संख्या 92/ix/101/2009–गैर सरकारी, निजी वाहनों, टैक्सी एवं किराये के वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की नाम पट्टिका, सरकार की मुहर/चिन्ह, लाल अथवा नीली बत्ती एवं हूटर आदि को प्रतिबन्धित किये जाने तथा केवल सरकारी वाहनों पर अधिकारी का पदनाम एवं विभाग के नाम की पट्टिका तथा विद्यमान शासनादेशों के तहत ही लाल/नीली बत्ती का प्रयोग अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या–281/ix/101/2008–09, दिनांक 17–12–2008 को अपरिहार्य कारणों से तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

उमाकान्त पवांर,
सचिव।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

02 मार्च, 2009 ई०

संख्या 17/XVI–2/09/1(26)/04–रेशम विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक निदेशक (रेशम) श्रेणी–2 के रिक्त पद पर प्रोन्नति द्वारा नियमित चयन कराये जाने के प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, द्वारा की गयी संस्तुति के अनुक्रम में श्री राज्यपाल महोदय, श्री जी०के० सिंह, अनुसंधान सहायक को सहायक निदेशक (रेशम), वेतनमान रु० 8000–13500 (पुनरीक्षित वेतनमान रु० 15600–39100, ग्रेड पे रु० 5400) के पद पर तात्कालिक प्रभाव से पदोन्नति प्रदान कर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा में रखते हुए आगामी स्थानान्तरण सत्र तक सहायक निदेशक, रेशम, जनपद देहरादून के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात् आगामी सामान्य स्थानान्तरण सत्र में पुनः तैनाती हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2–उपरोक्तानुसार श्री सिंह, को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है, कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान में कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रभारक शासन एवं रेशम निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

विनोद फोनिया,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 हिन्दी गजट/149–भाग 1–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 2009 ई० (फाल्गुन 23, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

लोक आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड

कार्यालय ज्ञाप

05 फरवरी, 2009 ई०

पत्रांक 40368/लो०का०/2008–पूर्व लोक आयुक्त के आदेश संख्या–39447, दिनांक 20–10–2008 द्वारा श्री मो० आरिफ, अनुभाग अधिकारी की अनुसचिव (वेतनमान रु० 10,000–15,200) के पद पर की गयी प्रोन्नति के विरुद्ध श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी, अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में श्री मो० आरिफ की अनु सचिव पद पर प्रोन्नति को नियमों के विरुद्ध बताया गया है।

श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी, अनुभाग अधिकारी द्वारा अपने प्रत्यावेदन, दिनांक 3–11–2008 में श्री मो० आरिफ, अनुभाग अधिकारी की अनु सचिव पद पर प्रोन्नति को इस आधार पर गलत बताया है कि शासन के पत्र संख्या–445/सतर्कता–2008–38(36)/2006, दिनांक 30 जुलाई, 2008 द्वारा अगले आदेशों तक विभागीय कार्मिकों की प्रोन्नति को स्थगित रखे जाने के निर्देश दिये गये थे, इस पर श्री पूर्व लोक आयुक्त द्वारा अपने सेवाकाल की समाप्ति से 03 दिन पूर्व आदेश, दिनांक 20–10–2008 द्वारा श्री मो० आरिफ, अनुभाग अधिकारी की नियमों के विपरीत अनु सचिव के पद पर प्रोन्नति कर दी गयी। इसके अतिरिक्त श्री जोशी का यह कहना है कि श्री मो० आरिफ को स्थायीकरण नियमावली के अनुसार सीधे अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी घोषित नहीं किया जा सकता और जब तक श्री आरिफ अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी नहीं हो जाते, उन्हें अनु सचिव पद पर प्रोन्नत नहीं किया जा सकता।

श्री मो० आरिफ, अनुभाग अधिकारी को इस सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक–40175, दिनांक 20 जनवरी, 2009 द्वारा श्री जोशी के प्रत्यावेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया था। श्री मो० आरिफ द्वारा दिनांक 22–1–2009 को पुनः एक सप्ताह का समय मांगा गया, कार्यालय द्वारा उन्हें अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30–1–2009 तक का समय दिया गया। श्री मो० आरिफ ने दिनांक 30–1–2009 को प्रस्तुत स्पष्टीकरण में मुख्यतः इस बात पर बल दिया है कि लोक आयुक्त को अपने कार्मिको को नियुक्त किये जाने हेतु असीमित अधिकार प्राप्त हैं। इस हेतु पूर्व लोक आयुक्त द्वारा दिनांक 20–10–2008 को उनकी अनुसचिव पद पर की गयी प्रोन्नति उचित है, इस हेतु श्री भूपेन्द्र कुमार जोशी द्वारा उनकी प्रोन्नति को गलत बताया जाना अनुचित है।

श्री मो० आरिफ एवं अन्य कार्मिकों की पत्रावली, शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों, कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी तथा श्री जोशी के प्रत्यावेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि लोक आयुक्त कार्यालय द्वारा अपने कार्मिकों की सेवा–शर्तें राज्य सचिवालय के समान स्वीकार की गयी हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सचिवालय की सेवा नियमावली ही इस संगठन के कार्मिकों पर भी लागू होती है।

सरकारी सेवकों के लिये स्थायीकरण नियमावली, 2002, जो कि राज्य सचिवालय के कार्मिकों पर भी लागू होती है, के नियम–4(1) के अनुसार किसी कार्मिक का स्थायीकरण केवल उसी पद पर किया जायेगा जिस पर वह (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक श्रोत सीधी भर्ती भी है, प्रोन्नति द्वारा या (तीन) यदि वह भिन्न सेवा से सम्बन्धित है तो प्रोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो। चूंकि श्री आरिफ का मौलिक पद संदर्भ लिपिक है। उन्हें बगैर समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किये सीधे अनुभाग अधिकारी बना दिया गया। इसके बाद पूर्व लोक आयुक्त द्वारा अपने आदेश, दिनांक 17–10–2008 द्वारा श्री मो० आरिफ को दिनांक 1–3–2004 से अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी कर दिया गया। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 1–3–2004 को अनुभाग अधिकारी का पद स्थायी घोषित नहीं था, यह पद शासन द्वारा दिनांक 4–4–2007 से स्थायी घोषित किया गया है। श्री आरिफ को स्थायीकरण नियमावली, 2002 के नियम–4 (1) के अन्तर्गत दिनांक 4–4–2007 से अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी नहीं किया जा सकता था। श्री आरिफ के स्थायीकरण में हुई विसंगति के मद्देनजर कार्यालय द्वारा एक संशोधित आदेश, दिनांक 5–2–2009 पारित कर श्री मो० आरिफ को उनके मौलिक पद पर उस तिथि से स्थायी किया गया है, जिस तिथि (4–4–2007) से शासन द्वारा संदर्भ लिपिक पद स्थायी घोषित किया गया है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि श्री मो० आरिफ, अनुभाग अधिकारी वर्तमान में संदर्भ लिपिक के पद पर स्थायी हैं न कि अनुभाग अधिकारी के पद पर।

उ०प्र० सचिवालय सेवा नियमावली, 1983 के नियम–5(2) के अनुसार ऐसे स्थायी अनुभाग अधिकारियों में से जिन्होंने अनुभाग अधिकारी के रूप में या/और किसी उच्चतर पद पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा, जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, कर ली हो, अनु सचिव पद पर प्रोन्नति की जायेगी।

चूंकि अनु सचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी होना आवश्यक है तथा श्री मो० आरिफ दिनांक 20–10–2008 को नियमानुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थायी नहीं थे और संशोधित स्थायीकरण आदेश, दिनांक 5–2–2009 द्वारा श्री मो० आरिफ को संदर्भ लिपिक पद पर स्थायी किया गया है अतएव श्री आरिफ की अनुभाग अधिकारी पद से अनु सचिव पद पर प्रोन्नति नियम विरुद्ध है।

अतः पूर्व आदेश संख्या–39447, दिनांक 20–10–2008 को सुपरसीड (Supersede) करते हुए श्री मो० आरिफ को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम आदेशों तक उनके दिनांक 20–10–2008 से पूर्व धारित पद अर्थात् अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य करते रहेंगे।

05 फरवरी, 2009 ई०

पत्रांक 40369/लो०का०/2008–पूर्व लोक आयुक्त के आदेश संख्या–39447, दिनांक 20–10–2008 द्वारा श्री मो० आरिफ, अनुभाग अधिकारी की अनुसचिव (वेतनमान रु० 10,000–15,200) के पद पर प्रोन्नति करते हुए अनुभाग अधिकारी पद की रिक्ति के क्रम में दिनांक 20–10–2008 को ही पारित आदेशों द्वारा श्री मो० फारूख आजम, समीक्षा अधिकारी की अनुभाग अधिकारी के पद पर, श्री अरविन्द सिंह, सहायक समीक्षा अधिकारी की समीक्षा अधिकारी के पद पर, कु० कंचन रावत, आशुलिपिक की सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर, श्री दिगम्बर पंत, वरिष्ठ अनुसेवक की आशुलिपिक पद पर तथा श्री आनन्द मणि, अनुसेवक की वरिष्ठ अनुसेवक के पद पर प्रोन्नति की गयी है।

चूंकि, श्री मो० आरिफ, अनुभाग अधिकारी की नियमों के विपरीत अनु सचिव पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त कर दिया गया है, अतएव उपरोक्त कार्मिक दिनांक 20–10–2008 से पूर्व उनके द्वारा धारित पदों पर ही कार्य करते रहेंगे।

एम० एम० घिल्डियाल,
लोक आयुक्त, उत्तराखण्ड।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 हिन्दी गजट/149–भाग 1–क–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 2009 ई0 (फाल्गुन 23, 1930 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत

संशोधित उपनियम

11 दिसम्बर, 2008 ई0

सं0 311/उपनियम–मुद्रण/2008–09–उ0प्र0 गजट, 20 दिसम्बर, 1975 के भाग–तीन में विज्ञप्ति संख्या 143/23–9, दिनांक 4–12–1975 एवं उ0प्र0 गजट, 30 जून, 1973 के भाग–तीन में विज्ञप्ति संख्या र–4773/23–45, दिनांक 15–6–1973 द्वारा विभिन्न व्यवसायों के विनियमितीकरण हेतु लागू की गयी उपविधियों में शा0सं0–2186/नौ–9–93–204 (जनरल)/90, दिनांक 13 जून, 1993 के क्रम में संशोधित उपनियमों के क्रमशः नियम–10(1) व 4 में एतद्द्वारा निम्न संशोधन किया जाता है :–

2–उपरोक्त संदर्भित उपनियम दिनांक 4–12–1975 के नियम–10 एवं उपनियम 1526–1973 के नियम–3 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है :–

3–उपनियम, दिनांक 4–12–1975 के नियम–8 में निम्न संशोधन किया जाता है :–

इस उपनियम के अधीन जारी किए जाने वाले लाईसेन्स की अवधि प्रथम अप्रैल से 31 मार्च मानी जायेगी। लाईसेन्स शुल्क के नवीनीकरण की अन्तिम तिथि 15 अप्रैल होगी। इसके उपरान्त नवीनीकरण के लिए 50.00 रु0 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्र के साथ पुराना लाईसेन्स भी संलग्न करना होगा।

संशोधित सूची

क्रमांक	मद का नाम	निर्धारित दर प्रतिवर्ष (रु0)
1.	खाद्य थोक विक्रेता	200.00
2.	हलवाई, भोजनालय, सब्जी फुटकर विक्रेता, आटा चक्की, तेल चक्की, आरा मशीन, खाद्य वस्तु, जलपान गृह, पान की दुकान, बेकरी, परचून की फुटकर दुकान	100.00
3.	देशी शराब की दुकान	5,000.00

क्रमांक	मद का नाम	निर्धारित दर प्रतिवर्ष (रु०)
4.	विदेशी शराब की दुकान	10,000.00
5.	सब्जी थोक विक्रेता	250.00
6.	रेड़ी द्वारा फल सब्जी विक्रय	1000.00
7.	ईन्क्योरेन्स कम्पनी	1000.00
8.	गैस एजेन्सी	1000.00
9.	केबिल ऑपरेटर	200.00
10.	मास विक्रेता	1000.00
11.	मोबाईल टावर	1000.00
12.	बारबर की दुकान	100.00
13.	प्राईवेट अस्पताल	200.00
14.	पैथोलोजी सेन्टर	200.00
15.	एक्सरे क्लीनिक	200.00
16.	पेट्रोल पम्प	200.00
17.	हार्डवेयर की दुकान	200.00
18.	विद्युत व्यवसायी	100.00
19.	कपड़ा व्यवसायी	1000.00
20.	टेलरिंग	500.00
21.	फोटोग्राफर	100.00
22.	बुक सेलर की दुकान	500.00
23.	रेडियो / टी०वी० की दुकान	100.00
24.	रेडीमेट गारमेन्ट्स	1000.00
25.	होटल / गेस्ट हाउस	600.00
26.	ब्यूटी पार्लर	100.00
27.	स्वर्णकार	100.00
28.	ऑटोस्पेल्स शॉप	100.00
29.	धुनिया	100.00
30.	बिसातखाना	100.00
31.	प्रिंटिंग प्रैस	100.00
32.	फर्नीचर व्यवसाय	100.00
33.	पेन्टर	100.00
34.	फल संरक्षण	100.00
35.	टैन्ट हाउस	100.00
36.	बर्तन व्यवसायी	100.00
37.	जूता व्यवसायी	100.00
38.	मेडिकल स्टोर	100.00
39.	अन्य व्यवसायी	100.00

दण्ड

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, लोहाघाट घोषित करती है कि उपरोक्त उपनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1000.00 (एक हजार रुपया) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी निरन्तर अपराध करता आ रहा है, रु0 25.00 (पच्चीस रुपया) प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है।

संशोधित उपनियम

सं0 704/23–45–नगर पंचायत, लोहाघाट, जिला चम्पावत ने यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 298(2) लिस्ट 1, आई (डी), जो नगर पंचायत, लोहाघाट पर भी लागू है, के अन्तर्गत नगर पंचायत, लोहाघाट की सीमा के अन्दर शौचालयों को स्वच्छ बनाने और गन्दगी वगैरह को साफ करने हेतु नियंत्रित तथा विनियमित करने के लिए निम्नलिखित उपनियम बनाये हैं, जिसकी पुष्टि आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल ने की है। जो उ0प्र0 गजट में दिनांक 13 मई, 1974 से प्रकाशित है, में निम्न संशोधन किया जाता है :–

इन संशोधनों के सम्बन्ध में आपत्ति एवं सुझाव अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लोहाघाट, जनपद चम्पावत को सम्बोधित करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रेषित किये जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त विज्ञप्ति में प्रकाशित पैरा (ब) पर शौच शुल्क के स्थान पर स्वच्छता शुल्क पढ़ा जायेगा।

स्वच्छता शुल्क का आशय नगर पंचायत, लोहाघाट के क्षेत्रान्तर्गत स्थिति कूड़ादानों, नालियों एवं सड़कों आदि की स्वच्छता हेतु लिए जाने वाले शुल्क से है।

1–नगर पंचायत, लोहाघाट में स्थित प्रत्येक भवन स्वामी को नगर की समुचित स्वच्छता हेतु स्वच्छता शुल्क वार्षिक रूप से देना होगा।

2–नगर पंचायत, लोहाघाट द्वारा दैनिक एवं नियमित रूप से नगर की स्वच्छता की व्यवस्था की जायेगी।

3–नगर की स्वच्छता का आशय सड़कों, नालियों, मूत्रालयों एवं कूड़ादानों की स्वच्छता से है।

4–स्वच्छता शुल्क निम्नानुसार आरोपित किया जायेगा :–

प्रचलित दरें	संशोधित दरें
रु0 50.00 प्रतिवर्ष ऐसे क्षेत्र के निवासियों पर जहां नगर पंचायत द्वारा स्वच्छता सम्बन्धी व्यवस्था की गयी है।	रु0 50.00 प्रतिवर्ष प्रतिभवन/शासकीय भवनों सहित/निजी भवन के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर व्यवसाय करने वाले व्यवसाईयों तथा ऐसे व्यवसाई जिनका नगर क्षेत्र में अपना निजी भवन न हो, पर भी स्वच्छता शुल्क आरोपित होगा।

ह0/– अपठनीय
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, लोहाघाट,
जिला, चम्पावत।

ह0/– अपठनीय
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, लोहाघाट,
जिला, चम्पावत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/149–भाग 8–2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।